# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रकरण | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| मैनुअल नं.28 / 2025 (GCMS No. 2025 / 127) | रेगूलर | 09.09.2025 | 10.02.2026 |

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, हिण्डोली

— प्रार्थी

बनाम

रिंकू खिंची पुत्र बाबूलाल खिंची,
निवासी नगरपालिका हिण्डोली,
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री दिलीप सिंह एडवोकेट।

## निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 28 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 127 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 09.12.2025 को जवाब पेश किया जाकर स्वयं के 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं जप्त सामग्री के अप्रार्थी को सिपुर्द करते हुए कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 08.09.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा नगरपालिका हिण्डोली में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इण्डो फार्म ट्रेक्टर एजेन्सी के पास एक व्यक्ति अपने घर के बाहर गैस रिफलिंग करता हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित रिंकू खींची पुत्र बाबूलाल खींची से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू सिलेण्डर एवं रिफलिंग मोटर के उपयोग के संबंध में जानकारी करने पर अप्रार्थी रिंकू के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गतिविधयों में उपयोग संबंधी कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध रिफलिंग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन कंपनी), 01 रिफलिंग मशीन मय बिजली तार मय रबड के दो पाईप को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स हिण्डोली इण्डेन गैस ऐजेन्सी, हिण्डोली के प्रतिनिधि श्री रितेश जैन की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय सामग्री को राजसात किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 08.09.2025 को अप्रार्थी के घर पर तीन व्यक्ति के आये। जिनके पूछने पर कि यहां गैस भरने का कार्य कौन करता है, अप्रार्थी ने बताया कि टाटा शोरूम के पास मारूति वेन के मिस्त्री है, उनके पास रहमतुल्ला अंसारी गैस भरने का कार्य करता है। इतने में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि हम निरीक्षण के लिये आये है, घर के बाहर यह वेन कैसे खडी हुई है। प्रार्थी को अप्रार्थी के घर के निरीक्षण के दौरान पानी की एक खराब मोटर, उसी के पास गैस की टंकी, बोरिंग के पाईप वगै. मिले। जिन्हें देखकर प्रार्थी ने अप्रार्थी को गैस रिफलिंग के कार्य में लिप्त मान लिया। अप्रार्थी ने निरीक्षक को कहा भी कि मैं ऐसा कार्य नहीं करता हूं। जो मोटर प्रार्थी द्वारा जप्त की गयी है, उसका निरीक्षण श्रीमान द्वारा किया जाना आवश्यक है जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि कौन गैस का कार्य करता है और कौन नहीं। गैस रिफलिंग का कार्य रहमतुल्ला अंसारी करता है, जिसका वीडियो भी प्रवर्तन निरीक्षक को दिखाया गया जिसमें गैस एजेन्सी के टेम्पो से करीबन 10–15 टंकियां गैस एजेन्सी के कर्मचारी उतार रहे है, वही पर वेन में गैस भरी जा रही है। जिस पर तो प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उल्टा अप्रार्थी पर ही कार्यवाही की गई जो अवैध व द्वेषतापूर्ण तरीके से की गयी है। जबकि अप्रार्थी ने ऐसा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस मय खराब मोटर अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने घर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर गैस रीफिलिंग का कार्य किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा गैस सिलेण्डर एसआर नं. 25374 INDANE गैस मय 01 रिफलिंग मशीन मय बिजली तार मय रबड के दो पाईप के राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जाने एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * बूंदी (राज) *